पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

Dy. Chief Engineer,
Con/DOS/ East Central Railway

पटना, दिनांक

*विषयः–* ***Railway formation works 3rd & 4th line Gaya Son Nagar Section (Dfcc Ch. 225+300 to ch. 292+157) हेतु मिट्टी/गाद की निकासी के लिए अनापत्ति के संबंध में ।***

***प्रसंगः–*** ***आपका पत्रांक-शून्य दिनांक-23.09.2025***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, गया अन्तर्गत औरंगाबाद जिला में Railway formation works 3rd & 4th line Gaya Son Nagar Section (Dfcc Ch. 225+300 to ch. 292+157) के लिए धावा, मदार एवं पुनपुन नदी से मिट्टी/गाद की निकासी कार्य हेतु निम्न शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. धावा, मदार एवं पुनपुन नदी से मिट्टी/गाद की निकासी निम्न तालिका में अंकित स्थलों तक ही सीमित रहेगा ।

| क्र0 सं0 | नदी का नाम | जिला | राजस्व अंचल | मिट्टी कटाई का लोकेशन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | धावा | औरंगाबाद | रफीगंज | रफीगंज ग्राम (24.814709N & 84.623702E) से केराप ग्राम (24.833842N & 84.612900E) तक |
| 2 | मदार | औरंगाबाद | रफीगंज | रेलवे पुल के पास (24.815807N & 84.525647E) से आशा बिगहा ग्राम (24.830245N & 84.513663E) तक |
| 3 | पुनपुन | औरंगाबाद | वारूण | विष्णु धाम (24.854543N & 84.310086E) से चिचमी ग्राम (24.866928N & 84.330830E) तक |

2. नदी के दोनों तरफ किनारे से 3-3 मी0 छोड़कर नदी के तल में अधिकतम 2.0 मी0 की गहराई में मिट्टी/गाद की निकासी की जा सकती है ।
3. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।

En-in-ch., Patna new

4. मिट्टी/गाद की निकासी के दौरान नदी के दोनों किनारे पर बने बाँध में किसी प्रकार की क्षति ना हो । किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी सारी जवाबदेही पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL की होगी।
5. मिट्टी/गाद की निकासी के दौरान नदी में बने संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति ना हो । क्षति होने पर उसकी सारी जवाबदेही पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL की होगी ।
6. कार्य करते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय । नदी के बेड में कार्य कराने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता को इसकी सूचना दी जायेगी एवं इनके देख-रेख में नदी से खुदाई की जायेगी ।
7. उड़ाही में निकले मिट्टी/गाद का खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को Royality एवं Seignorage fee की राशि का भुगतान पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।
8. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे किसी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
9. बाढ़ अवधि प्रारंभ होने के पूर्व (01 जून 2026 के पूर्व) नदी में जल प्रवाह को सुचारू बनाये रखने निमित्त नदी से सभी प्रकार के अवरोध को हटाया जाना आवश्यक होगा ।
10. नदी से मिट्टी/गाद निकासी एवं आवागमन के क्रम में तटबंध/बांध को यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो आसन्न बाढ़ अवधि के मद्देनजर स्थल पर इसकी तत्काल मरम्मति एवं सुदृढ़ीकरण कराने की जिम्मेवारी पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL की होगी एवं इसका व्यय पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL द्वारा वहन किया जायेगा ।
11. नदी की गाद सफाई अपस्ट्रीम से प्रारम्भ की जायेगी तथा बिना कोई गैप रखे निर्दिष्ट दूरी तक करायी जायेगी ।
12. सड़क, पाईपलाईन आदि जैसे रेखीय परियोजना के लिए साधारण मिट्टी/गाद की निकासी के संबंध में बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्रांक-170 दिनांक-10.04.2024 से निर्गत पत्र का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।
13. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा ।
14. विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है । अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त किया जायेगा ।
16. पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL द्वारा मिट्टी/गाद की निकासी हेतु निर्धारित स्थल पर कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान प्रत्येक 15-15 दिन के अंतराल पर तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण प्रभाग का ड्रोन फोटोग्राफ एवं विडियो जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा । जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता इनका संधारण कर पाक्षिक रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।
17. नदी से मिट्टी/गाद की निकासी, संलग्न Index Map एवं Section (अनुलग्नक-I) के अनुरूप किया जायेगा एवं Clear channel का निर्माण किया जायेगा । साथ ही कार्य के संदर्भ में सूचना विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक-II) संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । जल

संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा विहित प्रपत्र में संधारित कर पाक्षिक रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

18. नदी से मिट्टी/गाद की निकासी बाढ़ अवधि में प्रतिबंधित रहेगा ।

19. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित पूर्व मध्य रेलवे एवं HGIEL को CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।

20. नदी में गाद उड़ाही के पूर्ण लम्बाई में Pre-Level लेकर Post-Level निर्धारित कराना आवश्यक होगा तथा इसका सत्यापन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कराना आवश्यक होगा।

21. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 तथा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अन्य, परिपत्रों/अधिनियमों/संकल्पों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाना होगा।

22. गाद निकासी का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना-S.O. 1223(E) दिनांक-17.03.2025 के परिशिष्ट-XIV में निर्धारित SOP के अनुरूप संबंधित जिला की समिति की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता इसके अनुपालन से आश्वस्त होने के उपरांत ही खुदाई की अनुमति देंगे ।

23. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

**अनु:-**

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना-S.O.1223(E) दिनांक-17.03.2025
2. उपरोक्त कंडिका-17 में निहित इन्डेक्स मैप, सेक्शन एवं विहित प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना /अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III 1893 दिनांक:-05-05-2021

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय